(13)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 43/2018 दायर दिनांक–03–04–2018

नाहरमल पुत्र घड़सीराम जाति मेघ्ज्ञवाल निवासी रामपुरा हाल खोरी ब्राहमण ग्राम पचांयत रघुनाथगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

– वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति. नं. :– राज पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ,
दुरूस्ती रिकार्ड
–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12–08–2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके राजस्व ग्राम चिराना तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बरी 573 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.26 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 2335, 2336, 2337 थे तथा उसके पूर्व खसरा नम्बर 1623, 1651, 1594 थे जिसको आगे वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार वादी है तथा इस भूमि पर काश्त व कब्जा भी वादी का है। वादी से पूर्व इस भूमि का खातेदार काश्तकार वादी के पिता घडसीराम थे तथा उनके पूर्व वादी के दादा आशा इस भूमि का खातेदार काश्तकार था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब इस भूमि का खातेदार काश्तकार वादी के दादा आशा पुत्र भोला कौम चमार था, जिसका रिकार्ड भी उनके नाम से सम्वत 2012 से लगतार सम्वत् 2031 तक चला आ रहा था उसके बाद नामान्तकरण संख्या 56 के द्वारा गलत तरीके से आशा के फौत होने पर नरसीराम व नत्थूराम पुत्र आशाराम खाती के नाम से नामान्तकरण भर गलत रिकार्ड बना दिया क्योकि प्रथम तो नरसी व नत्थू आशाराम के पुत्र नही थे। ना ही इनकी जाति खाती है परन्तु गलत रूप से नामान्तरकरण भर दिया, जो निरस्त होने योग्य है, जबकि आशा के स्थान पर घड़सी का नाम व घड़सी की मृत्यु के बाद नाहरमल के नाम दर्ज होना चाहिए था। उसके बाद सैटलमेंन्ट के दौरान सैटलमेन्ट अधिकारियों ने इस भूमि का रिकार्ड नरसीराम, नत्थूराम पिता आशा चमार (मेघवंशी) दर्ज कर दिया। जबकि इस नाम के कोई भी व्यक्ति वादी के गांव मे नही है। इस प्रकार इस भूमि का रिकार्ड बना वह गलत बना है। वास्तव में इस भूमि का रिकार्ड वादी के नाम से बनना चाहिये था। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसलिए विवादित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वाद के लिए वाद कारण जब वादी ऋण लेने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने व उसके बाद दिनांक 22.01.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने व दिनांक 25.01.2018 को तहसीलदार नवलगढ़ को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र देने के पश्चात मना करने के रोज वाद कारण पैदा हुआ।

वादी ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी [illegible] नवलगढ की तन में भूमि खसरा नम्बर 573, 574, 575 रकबा क्रमशः 0.08, 0.07, 0.11 हैक्टर कुल [illegible] कुल रकबा 0.26 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दे नरसीराम, नत्थूराम पिता आशा मेघवंशी का [illegible] हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। अन्य कोई सिद्धि चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक [illegible] हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित न्यायालय हाजा हुये तथा जवाब में कथन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:56 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वाद–पत्र में विवादित भूमि के संबंध में चाही गई रिलीफ से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है। वादी का वाद को वादी द्वारा ही साबित किया जाना है।

प्रकरण में प्रतिवादी राजपैरोकार की ओर से कोई राजहित प्रभावित नही होने से वाद पत्र का कोई खण्डन नही करने के फलस्वरूप वाद में तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नही रहती है। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं नाहरमल द्वारा मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र पेश किया गया तथा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श–2 वर्तमान नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2055–2058, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2028–2031, प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2033–2036, प्रदर्श–7 नकल नामा.संख्या 56, प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत् 2047–2050 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद – पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम चिराना की तन में भूमि खसरा नम्बर 573 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.26 हैक्टर भूमि स्थित है जो कि प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 से होना प्रमाणित है। विवादित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 2335, 2336, 2337 थे तथा उसके पूर्व खसरा नम्बर 1623, 1651, 1594 प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2055–2058, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 बनना प्रमाणित होते है। विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार वादी है तथा इस भूमि पर काश्त व कब्जा भी वादी का है। वादी से पूर्व इस भूमि का खातेदार काश्तकार वादी के पिता घड़सीराम थे तथा उनके पूर्व वादी के दादा आशा विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था जो प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 से होना प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब इस भूम का खातेदार काश्तकार वादी के दादा आशा पुत्र भोला कौम चमार था, जिसका रिकार्ड भी उनके नाम से सम्वत 2012 से लगातार सम्वत् 2031 तक चला आ रहा था उसके बाद नामान्तकरण संख्या 56 के द्वारा गलत तरीके से आशा के फौत होने पर नरसीराम व नत्थूराम पुत्र आशाराम खाती के नाम से नामान्तकरण भर गलत रिकार्ड बना दिया। आशाराम के एक मात्र वादी के पिता घड़सीराम संतान थी। नरसी व नत्थू आशाराम के पुत्र नही है। जबकि रिकार्ड में आशा के स्थान पर आशा के पुत्र घड़सी का नाम व घड़सी की मृत्यु के बाद नाहरमल के नाम दर्ज होना चाहिए था। इसके पश्चात सैटलमैन्ट के दौरान सैटलमेन्ट में भूमि का रिकार्ड नरसीराम, नत्थूराम पिता आशा चमार दर्ज कर दिया। नरसीराम व नत्थूराम आशाराम के पुत्र नही है, इस प्रकार इस भूमि का रिकार्ड बना वह गलत बनना प्रमाणित होता है। विवादित भूमि वादी की पैतृक सम्पति है पूर्व में उक्त भूमि वादी के दादा के नाम से चली आ रही थी जो गलत नामान्तरकरण दर्ज होने से वादी के पिता का नाम रिकार्ड में दर्ज नही किया जाकर किसी अन्य को खातेदार बना दिया गया जो गलत बनाया गया है। वादी के पिता घड़सीराम फौत हो चुका है तो उक्त विवादित भूमि में वादी खातेदार काश्तकार है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद वादी साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम रामपुरा की तन में खसरा नम्बर 573, 574, 575 रकबा क्रमशः 0.08, 0.07, 0.11 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.26 हैक्टर में से नरसीराम व नत्थूराम का हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाएती दफ्तार हो। निर्णय आज दिनांक 12.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:02:56 IST
Reason: SelfAttested

(दमयन्ती कंवर आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू